तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी ने एक पक्षीय बहस सुनी गई, वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30-11-17 को पेश हो	
30-11-17	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ~~राज्य कार्यवश~~ बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-12-17 को पेश हो।	
6-12-17	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश सुनाया गया, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुदा होकर सलांग मूल बाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

प्रार्थना पत्र संख्या 9/प्रार्थना पत्र/15 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा **RAS**

दायरा दिनांक– 24.02.15

उनवान

1. श्रीमती सूरजा बाई आयु 38 वर्ष पत्नि श्री गुलाबचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तह. इन्द्रगढ, जिला बून्दी।
2. मनोज कुमार आयु 17 वर्ष नाबालिग जर्ये संरक्षिका माता श्रीमति सूरजा बाई पत्नि श्री गुलाबचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तह. इन्द्रगढ़, बून्दी।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाबचन्द आयु 41 वर्ष आ. स्व. श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. जगदीश आयु 38 वर्ष आत्मज स्व. श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. पप्पू आयु 33 वर्ष आत्मज स्व. श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी झपायता तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी।
4. दाखा बाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व. श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी।
5. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, लाखेरी जिला बून्दी।
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ, जिला बून्दी।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 6.12.17

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– प्रार्थी सं 1 के ससुर व प्रार्थी सं 2 के दादा बद्रीलाल की कृषि भूमि खाता सं. नई 25 पुरानी 19 के खसरा सं. 70 रकबा 1.03 हैक्ट. व खसरा सं. 378 रकबा 3.45 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 4.48 हैक्ट. वाके ग्राम झपायता तह. इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। बद्रीलाल का निधन के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी कम 1 लगा. 4 जायन्दा वारिस होने से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070 संलग्न है। उक्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें प्रार्थी के पति का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी कम 1 जो प्रार्थी कम 1 का पति है, भूमि का बेचान करने को आमदा हो रहा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

व अपने हिस्से की भूमि को बेचकर अपने शौक पूरे करना चाहता है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.01. को आराजी का विधिवत विभाजन करवाने व पृथक–पृथक खाते दर्ज करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। वाद विचारण में समय लगने की संभावना है अतः दौराने वाद अप्रार्थी कम 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का बेचान, रहन, खुर्द–बुर्द न करे न ही प्रार्थी को उसके हिस्से की पुश्तैनी आराजी से वंचित करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बाद तामील अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण 1 लगा. 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रथम दृष्टया मामला–

मुताबिक जमाबंदी ग्राम झपायता संवत 2045–2048 में बद्री वल्द भूरा कोम मीणा का फौती नामान्तकरण गुलाबचंद, जगदीश, पप्पू पि. बद्री व दाखा बाई बेवा बद्री के नाम स्वीकृत हुआ है। अतः चूंकि गुलाबचंद को उक्त आराजी पिता से विरासतन मिली है।

वादिनी गुलाबचंद की पत्नी है तथा वादी सं. 2 सुरजा बाई पत्नि गुलाबचंद का पुत्र है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह कथन लिया है कि अप्रार्थी कम सं. 1 भूमि का बेचान करने पर आमध है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति–

सभी संभावनाओं व अधिसंभावनाओ की तुलना करने पर दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की 1/4 कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखने जाने का आदेश दिया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)